

इस तकनीक की सहायता से पौधों को वृक्ष के रूप में विकसित होते हुए ऑनलाइन निगरानी करना संभव होगा, मकसद है राजमार्गों को हरा-भरा बनाना।

सरकार ने हाईवे के किनारे एक करोड़ पौधों की जियो टैगिंग कराई

नई दिल्ली | अद्विद सिंह

केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगाए गए एक करोड़ से अधिक पौधों की जियो टैगिंग कराई है। इस तकनीक की सहायता से पौधों को वृक्ष के रूप में विकसित होते हुए ऑनलाइन निगरानी करना संभव होगा।

इसके साथ ही निर्माण कंपनी या ठेकेदार को उन्हीं पौधों के लिए भुगतान किया जाएगा जो सही सलामत है। कुल पौधारोपण को आधार नहीं माना जाएगा। योजना का मकसद राजमार्गों को हरा-भरा बनाना

है तथा जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का भी मुकाबला किया जा सके।

राजमार्गों के किनारे पौधारोपण योजना को सफल बनाने के लिए मॉडल कंट्रोक्ट एग्रीमेंट (एमसीए) में बदलाव किए गए हैं। इसमें परियोजना की कुल लागत का एक फीसदी हिस्सा हरित कोष में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। पांच साल में यदि पौधे बढ़े नहीं होते हैं तो हरित कोष का पैसा रोक लिया जाएगा। प्रत्येक पौधे की ऑनलाइन जानकारी रखने के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसमें सभी 150 क्षेत्रीय अधिकारी व



प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो कि मोबाइल ऐप पर पौधों की निगरानी रखते हैं। पौधों की एक से डेढ़ मीटर की ऊँचाई बढ़ने व प्रदर्शन के आधार पर भुगतान को जोड़ दिया गया है। हर तीन महीने

स्टीक जानकारी मिलेगी

जियोटैगिंग भोगौलिक मीडिया मेटाडेटा को फोटोग्राफ, वीडियो, वेबसाइट से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह भू-स्थानिक मेटाडेटा का एक रूप है। इसमें अक्षांश-देशांतर की मदद से किसी वस्तु की स्टीक जानकारी, स्थान, ऊँचाई, दूरी, तस्वीर का पता लगाया जा सकता है। विदित हो कि समय पर पानी नहीं देने और उचित रखरखाव के अभाव में 80-90 फीसदी पौधे सूख जाते हैं। फिर भी कंपनी को भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी ने उनके नकेल कस दी है।

में ऐप पर पौधों की फोटो अपलोड की जाती है। सरकार के पास प्रत्येक पौधे पौधों की जानकारी का डाटाबैंक बनाया जा रहा है। जिससे भविष्य में राजमार्गों के किनारे जीवित पौधों के आधार पर

भुगतान किया जा सके। पिछले साल राजमार्गों के किनारे 57.2 लाख पौधे की जानकारी का डाटाबैंक बनाया जा रहा है। हालांकि बीते वित्तीय वर्ष तक 72 लाख पौधारोपण का लक्ष्य था, जिसे पूरा किया जा रहा है।

शेरशाह सूरी की परंपरा

भारत में सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की परंपरा शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। उसने लाहौर से कोलकाता वाया दिल्ली तक ग्रांट ट्रंक रोड पर धने वृक्ष लगाए गए थे। हालांकि अब अधिकांश वृक्ष गायब हो गए हैं। केंद्र की 1976 की पॉलिसी कहती है हाईवे के प्रत्येक तीन मीटर पर पौधारोपण होना चाहिए।

निगरानी होगी

एनएचएआई के ग्रीन हाईवे डिवीजन में पिछले 30 मार्च को भारतीय वन सेवा के अधिकारी अशोक जैन की नियुक्ति हो गई है। बतौर नोडल अफसर यह हाईवे के किनारे वृक्षारोपण, पौधारोपण, सौंदर्यकरण की निगरानी करेंगे।